298

पत्रांक– का० प्र०/वि०वि०-12/2019 – 7171

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

A.S(8-19)

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, बिहार सरकार।
सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलायुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी कार्यालय प्रधान, बिहार।
सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 03/09/19

विषयः– CTMIS अवधि में चालान से जमा की गयी राशि की वापसी हेतु CFMS में की गयी व्यवस्था के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि CTMIS अवधि में चालान से जमा राशि का लेखा CTMIS मे तैयार किया जाता था। दिनांक 31.03.2019 तक CTMIS में प्रविष्टि चालान का एक यूनिक चालान नंबर तथा एक यूनिक चालान सिक्यूयेन्स नंबर सृजित होता था। CTMIS में उपलब्ध इस चालान के विरूद्ध वापसी CFMS के माध्यम से करने की व्यवस्था TCS द्वारा की गयी है जिसकी प्रक्रिया निम्नवत है :–

1. डी०डी०ओ० द्वारा कोषागार से चालान का सत्यापन कराया जायेगा।
2. कार्यालय के डी०डी०ओ० द्वारा e-billing module में Login किया जायेगा तथा बायें पैनल पर CTMIS Challan Migration Menu पर क्लिक किया जायेगा।
3. इसके बाद कम्प्यूटर पर एक स्क्रीन दिखेगा। इसमें Treasury (जिसमें चालान जमा है) एवं Challan Date भरना होगा।
4. इसके बाद Challan Sequence no. या CTMIS Challan no में से किसी एक की प्रविष्टि अनिवार्य होगी। Challan Sequence no. भी Search कर Select किया जा सकता है। चयनित कोषागार में चयनित तिथि को जमा सभी चालान दिखेगा जिसमें से इच्छित चालान Select किया जा सकता है।
5. स्क्रीन पर नीचे Search button पर क्लिक करने पर चालान डिटेल्स दिखेगा जिसमे कोषागार, चालान की तिथि, चालान सिक्यूयेन्स, जमाकर्ता एवं राशि से संबंधित सूचना दिखेगी। नीचे Migrate Challan button पर क्लिक करें।
6. दूसरे दिन चालान CFMS के Database में अंतरित हो जायेगा, जो CFMS में विपत्र बनाने हेतु उपलब्ध होगा।
7. e billing मे अंतरित चालान के विरूद्ध विपत्र तैयार कर कोषागार मे प्रेषित किया जायेगा जहाँ से भुगतान किया जायेगा।
8. चालान माईग्रेशन की कार्रवाई केवल e billing approver के द्वारा ही की जा सकती है। इस हेतु यूजर्स मैनुअल संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा-निदेशानुसार चालान अंतरण की कार्रवाई की जाय।

अनु० यथा

विश्वासभाजन

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।

US-05

1380/G105
6/9/19

297

बिहार सरकार

Department of Finance

Government of Bihar

Comprehensive Financial Management System

(CFMS)

User Manual

Version 1.1

CTMIS Challan Migration Process

TATA

TATA CONSULTANCY SERVICES

Government Industry Solutions Unit (ISU)

August 2019

CTMIS Challan Migration Process Steps

CTMIS Challan Migration screen will be used to migrate CTMIS challan into the CFMS system.

This screen will be available in all e-billing approver login in activity of **"Bill preparation including Paybill Approver"** activity.

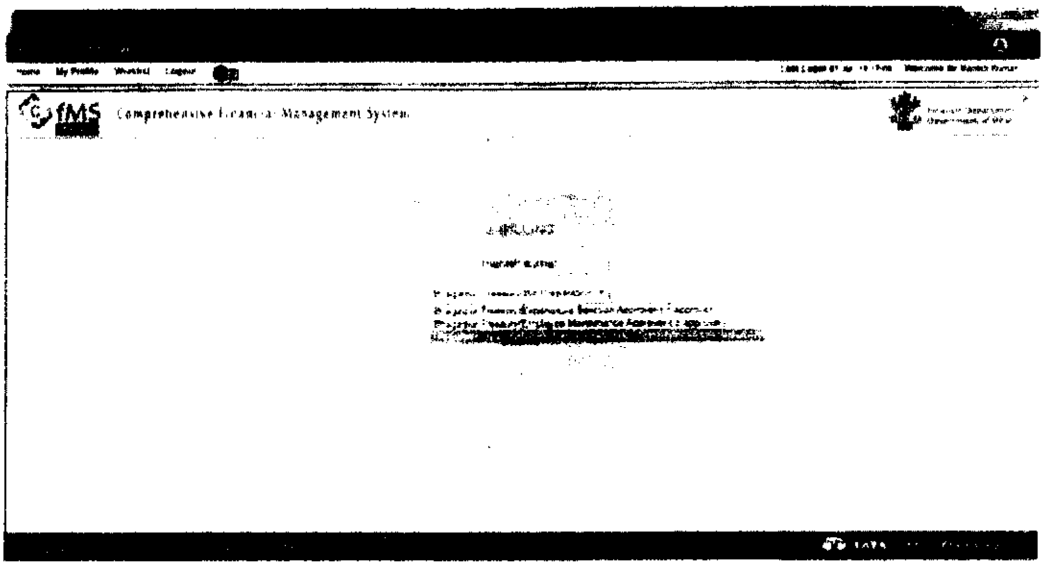

There will be menu link 'CTMIS Challan Migration' through which CTMIS challan can be migrated in CFMS.

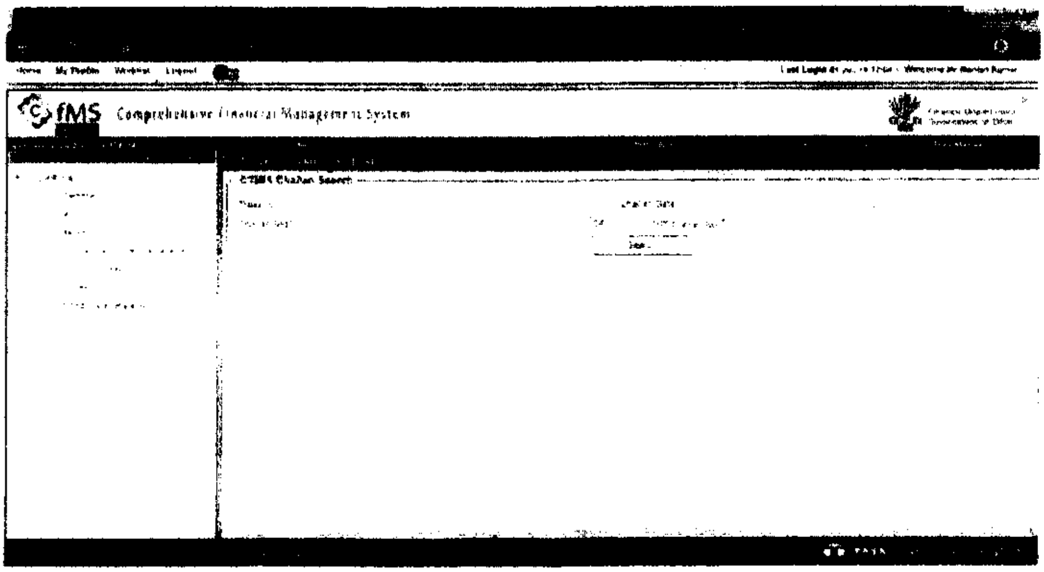

Migration Steps:

Step 1 Select Treasury Code from treasury code LoV.

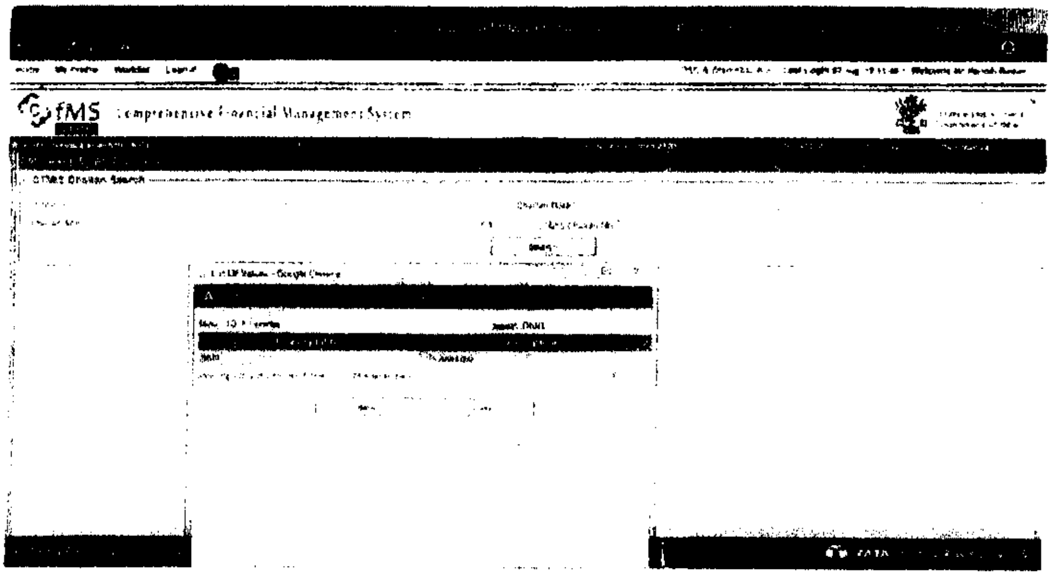

Step 2 Select challan date from the calendar icon

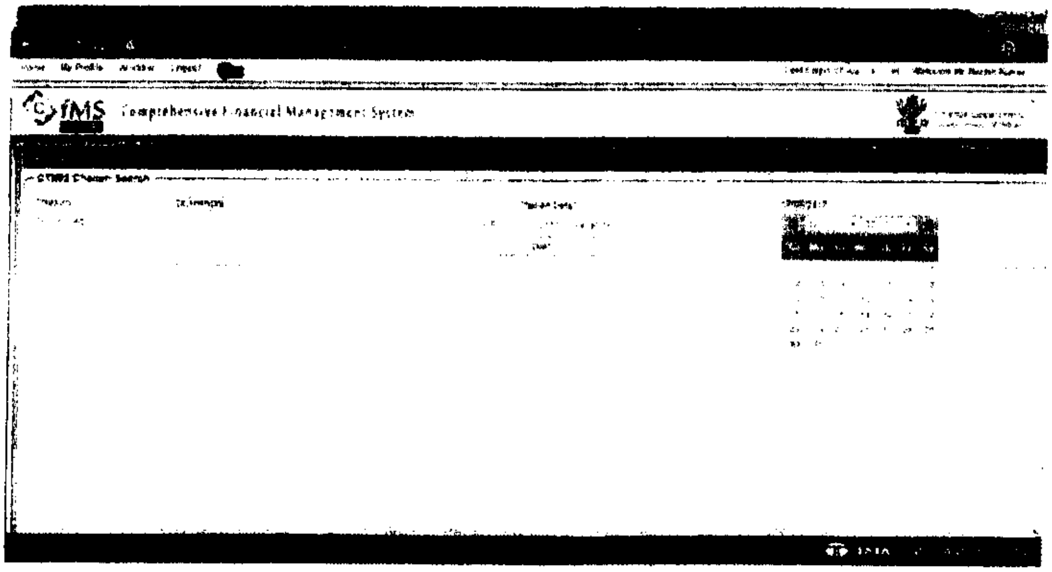

Step 3 Select challan sequence that needs to be migrated from 'Challan Seq' LoV **OR** Select the radio button against 'CTMIS Challan No.' field and enter CTMIS Challan No without any slashes ('/') in between .For example :C002900003.

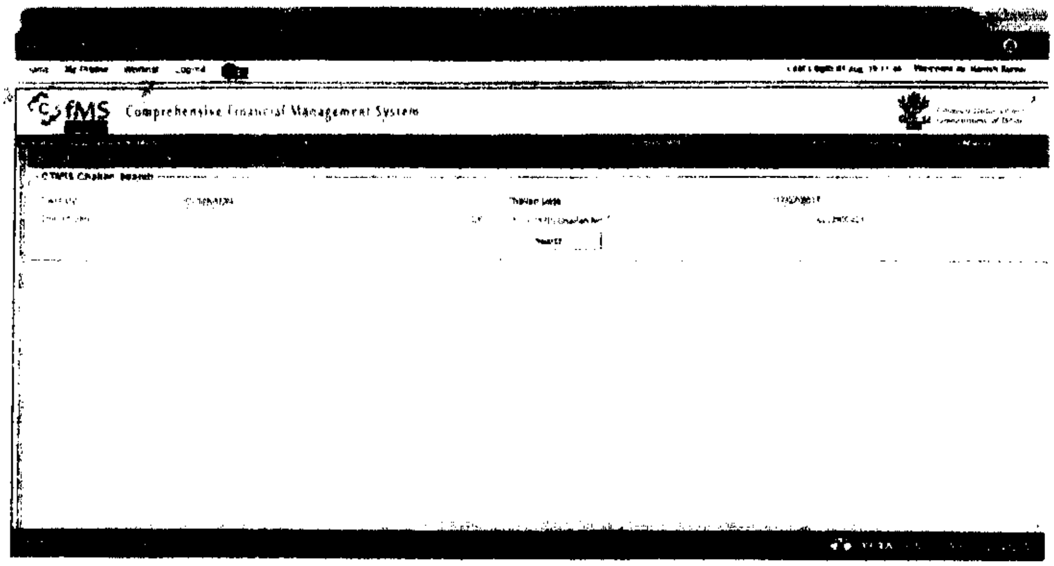

Step4: Click on 'Search' Button. On clicking search button details of CTMIS challan will be displayed.

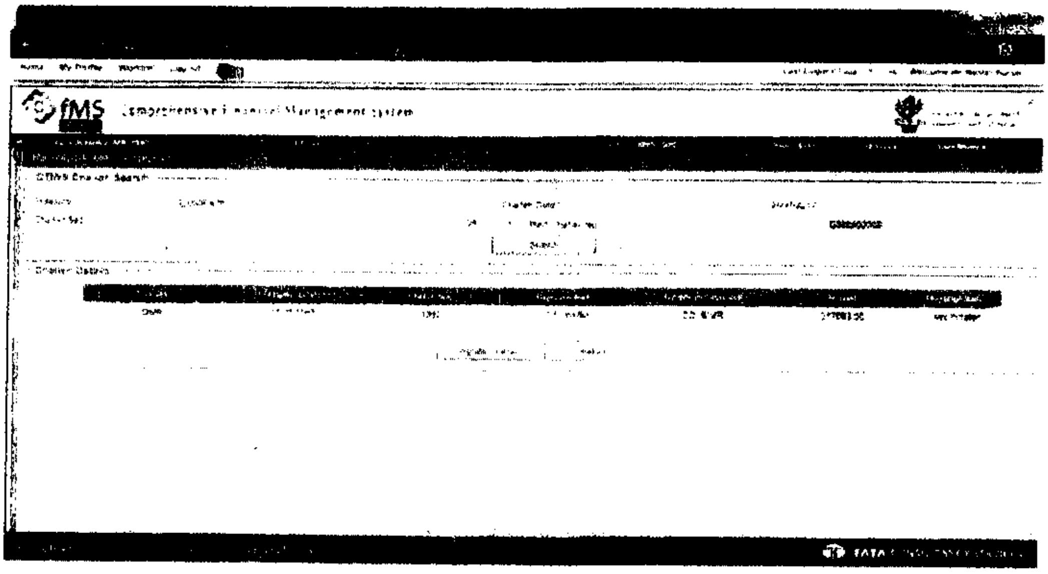

Step5: On clicking 'Migrate Challan' request of challan migration will be taken and a message will be displayed 'Challan Migration request has been processed. Please check after 24 hrs'

Migration request of selected challan will be taken by the system and it will be processed within 24 hours and challan will be migrated in the CFMS system.

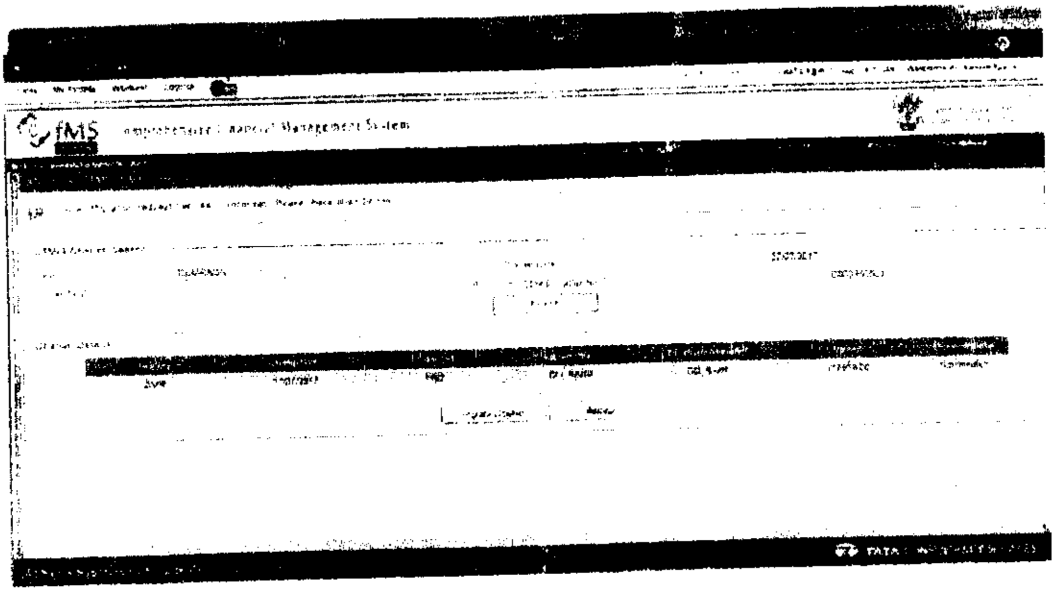

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापांक–5 / बजट 01–01 / 2019 --सा0–12655 / दिनांक– 13-9-19

प्रतिलिपि:–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सचिव, बिहार, लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना / सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना / सचिव, तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना / सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना / सचिव, स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, चाणक्यपुरी, 5 कौटिल्य मार्ग नई दिल्ली–21 / सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना / अवर सचिव (लेखा), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सचिव, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, पटना / सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना / सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना / सचिव, राज्य महादलित आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0:–**वित्त विभाग के पत्रांक–7171 दिनांक 03.09.19**
के साथ संलग्न अनु0 सहित।

ह0
13.9.19

(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग